जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन के अर्न्तगत आई. एस.ए. नवदुर्गा सेवा संस्थान द्वारा प्रस्तुत बिल क्लस्टर संख्या–16 व 24 के बिल भुगतान के सम्बन्ध में दिनांक 16.11.2023 को विकास भवन के सभागार में आहूत बैठक का कार्यवृत्त।

जिलाधिकारी महोदय हरदोई की अध्यक्षता में दिनांक 16.11.2023 को कलेक्ट्रेट सभागार में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत आई.एस.ए. नवदुर्गा सेवा संस्थान द्वारा प्रस्तुत बिल क्लस्टर संख्या–16 व 24 के बिल भुगतान के सम्बन्ध में समीक्षा बैठक की गयी। समीक्षा बैठक में मुख्य विकास अधिकारी हरदोई, अधिशासी अभियन्ता जल निगम ग्रामीण हरदोई, जिला सामाजिक एवं वानिकी प्रभारी, हरदोई, मुख्य चिकित्साधिकारी, हरदोई, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, हरदोई, अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, हरदोई, जिला कृषि अधिकारी, हरदोई, जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, हरदोई, सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई, हरदोई, सहायक अभियन्ता जल निगम ग्रामीण, जिला समन्वयक डी0पी0एम0यू0 (जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई) हरदोई तथा आई.एस.ए. / आई.ई.सी. समन्वयक डी0पी0एम0यू0 हरदोई उपस्थित रहे समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी महोदय द्वारा निम्नवत निर्देश दिये गये।

- अधोहस्ताक्षरी की बैठक में उपस्थित अधिशासी अभियंता जल निगम ग्रामीण हरदोई द्वारा आई. एस.ए. नवदुर्गा सेवा संस्थान के क्लस्टर संख्या–16 व 24 के बिल प्रस्तुतीकरण में यह पाया गया कि आई.एस.ए. संस्थाओं द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर जो भी गतिविधियां या बैठकें की जा रही है उसमें किसी भी गतिविधियों या बैठकों में उपजिलाधिकारी, खंड विकास अधिकारी, तहसीलदार व सहायक विकास अधिकारी को प्रतिभाग नहीं कराया जा रहा है। अतः सभी आई. एस.ए. संस्थाओं को निर्देशित किया जाता है कि उनके द्वारा जो भी गतिविधियां ग्राम पंचायत स्तर पर की जा रहीं हैं उसमें कम से कम एक–एक बैठकों में स्वयं उपजिलाधिकारी, खंड विकास अधिकारी व सहायक विकास अधिकारी को प्रतिभाग कराना अवश्य सुनिश्चित करें। इस हेतु अधोहस्ताक्षरी के स्तर से निर्देश पत्र जारी कराना सुनिश्चित करें।

  (कार्यवाही– अधिशासी अभियन्ता जल निगम, समस्त इम्प्लीमेन्टेशन सपोर्ट एजेन्सी हरदोई)

- उपरोक्त प्रस्तुतीकरण में यह भी पाया गया कि आई.एस.ए. नवदुर्गा सेवा संस्थान का कलस्टर संख्या–16 जो ब्लॉक– टोंडरपुर एवं कलस्टर संख्या–24 जो ब्लॉक– साण्डी में की गई गतिविधियों से संबंधित था परंतु प्रस्तुतीकरण में जो फोटोग्राफ्स दर्शाए गए वो किसी अन्य

ब्लॉक के थे। इसी प्रकार प्रस्तुतीकरण में प्रस्तुत फोटोग्राफ्स में जो तिथियां अंकित हैं वह डेट ऑफ एग्रीमेंट के पूर्व की तिथि है। अतः अधिशासी अभियंता, जल निगम ग्रामीण हरदोई व जिला समन्वयक, जिला परियोजना प्रबंधन इकाई (डी.पी.एम.यू.) हरदोई को निर्देशित किया जाता है कि पत्रावली में उक्त कमियों को दूर करते हुए उक्त पत्रावली अग्रिम बैठक में पुनः प्रस्तुत करें।

(कार्यवाही– अधिशासी अभियन्ता जल निगम, जिला समन्वयक डी0पी0एम0यू0, हरदोई)

(मंगला प्रसाद सिंह)
जिलाधिकारी
हरदोई।

कार्यालय जिलाधिकारी, हरदोई।

दिनांकः

पत्रांक

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य विकास अधिकारी, हरदोई।
2. अधिशासी अभियन्ता जल निगम ग्रामीण, हरदोई को अनुपालनार्थ।
3. जिला समन्वयक, डी0पी0एम0यू0, हरदोई को अनुपालनार्थ।
4. समस्त इम्प्लीमेन्टेशन सपोर्ट एजेन्सी, हरदोई को अनुपालनार्थ।

जिलाधिकारी
हरदोई।